

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आदेश सं.-1/पी.एम.सी./कार्य/726/2012:-/राँची, दिनांक:-.....
आदेश

श्री वीरा राम, तदेन अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, झारखंड से अजय मुख्य नहर के चेन संख्या-1425 से 1700 तक नहर बैंक सुदृढ़ीकरण कार्य (ग्रुप सं.-4) के निविदा आवंटन पर प्राप्त परिवाद के आलोक में विभागीय पत्रांक-5705 दिनांक-28.09.2013 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी।

सम्यक समीक्षोपरांत उक्त मामले में उनके द्वारा स्वयं के स्तर पर लिया गया निर्णय प्रक्रियात्मक त्रुटि की श्रेणी में आता है। इस पर विभाग द्वारा खेद व्यक्त करते हुए मामला निस्तारित किया जाता है।

एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 1050 /राँची, दिनांक:- 28-5-14 /

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखंड, राँची/वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/श्री वीरा राम, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख, अरगोड़ा हाऊसिंग कॉलोनी, क्वा.नं.-एच/39, पो.-अशोकनगर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

28/5/14